दुर्गेश / प्रतिभावान कोर्ट

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म तामील में जारी हुये
06.06.25	वकील उभयपक्ष उपस्थित। वकील वादीगण की बहस पर मनन करने उपरान्त पत्रावली का अवलोकन किया। प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 10 की ओर से प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सी.पी.सी. सपठित धारा 151 सी.पी.सी. के तहत इस आशय का पेश किया कि वादपत्र वादी ने स्वंय को प्रेमवती का वारिस अंकित करते हुए प्रस्तुत किया है। वाद पत्र की मद नं. 06 में वादी वाद पत्र में अंकित कथनों के मुताबिक हेतराम द्वारा निष्पादित पंजीबद्ध वसीयत तारीखी 08.05.2008 को स्वीकार करता है तथा उक्त वसीयत तारीखी 08.05.2008 को वाद पत्र की मद नं. 06 व 07 में फर्जी एंव अवैध अंकित कर अनुतोष चाहा है। वादी ने वाद पत्र की मद नं. 9 व 10 में प्रतिवादी संख्या 39 व प्रतिवादी संख्या 11 लगायत 17 व 21 लगा0 23 व 30 लगायत 33 के पक्ष में हुए विक्रय पत्रो को नल एण्ड वॉइड होने के संबध में अनुतोष मांगने के कथन अंकित किए है। जहां रजिस्टर्ड वसीयत का राजस्व रिकॉर्ड एंव मौके पर अमल (एक्ट अपोन) हो चुका हो, वहां हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधान लागू नही होते है। वसीयत एंव विक्रय पत्र के आधार पर खातेदारी अधिकार उद्घोषित होने का तो राजस्व न्यायालय को क्षेत्राधिकार प्राप्त होता है लेकिन वसीयत या विक्रय पत्र या अन्य किसी दस्तावेज को फर्जी, कूटरचित एंव नल एण्ड बॉयड घोषित करने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को प्राप्त नही है। मात्र सक्षम सिविल न्यायालय को प्राप्त है। वर्तमान वाद धारा 207 आरटी एक्ट के तहत वाद पत्र में अंकित कथनों के मुताबिक विधि द्वारा वर्जित है। विवादित आराजी के संबध में वाद पत्र में अंकित वादकरण वादी की मां प्रेमवती के जीवनकाल में उत्पन्न हो चुका था लेकिन प्रेमवती ने अपने जीवनकाल में विवादित आराजी के संबध में किसी प्रकार का कोई क्लेम नही किया। वाद पत्र में अंकित वादकरण असत्य है तथा वादकारण के अभाव में वाद विधि द्वार वर्जित है। वादी ने स्वंय को प्रेमवती का पुत्र अंकित करते हुए तथा प्रेमवती को हेतराम की पुत्री अंकित करते हुए तथा हेतराम को झिंगुरिया का पुत्र अंकित करते हुए वाद पत्र उत्तराधिकार के बिन्दू को तय कराने के लिए प्रस्तुत किया है। कानूनन उत्तराधिकार का बिन्दु मात्र सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा ही तय किया जा सकता है, राजस्व न्यायालय द्वारा नहीं तथा राजस्व न्यायालय को उत्तराधिकार का बिन्दु तय करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त नही है तथा क्षेत्राधिकार के बिन्दु पर वाद विधि द्वारा वर्जित है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया	

उपखण्डाधिकारी
धौलपुर (राज0)

जाकर वाद पत्र वादी धारा 207 व 256 आर.टी.ए. के तहत विधि से वर्जित मानते हुए इसी स्टेज पर अस्वीकार किया जावे।

प्रार्थना पत्र का जवाब वादी की ओर से इस आशय का पेश किया कि वादी ने तथाकथित वसीयत को फर्जी होना और उनका वादी व उसकी मां के मुकाबले प्रारंभतः अवैध और शून्य होना तथा उक्त अवैध और फर्जी वसीयत के आधार पर किये गए विक्रय पत्रों से वादी के मुकाबले प्रतिवादीगण को कोई अधिकार प्राप्त नही होना अंकित किया है। प्रतिवादीगण के पक्ष में हुए विक्रय पत्र प्रारंभतः नल एण्ड बॉयड है और ऐसे विक्रय पत्रा जो प्रारंभत नल एण्ड बॉयड है उनको नल एण्ड बॉयड घोषित कराने की आवश्यकता कानूनन नही है और नाही ऐसा कोई अनुतोष दावे की प्रार्थना पत्र में चाहा है। वसीयत फर्जी एंव अवैध है तथा विवादित अराजी वादी व उसकी मां को विरासतन हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत अधिकार निहित है तथा ऐसी किसी तथाकथित वसीयत या विक्रय पत्रों से प्रतिवादीगण को वादी के मुकावले कोई अधिकार प्राप्त नही होते है। वादी ने विवादित आराजी में विरासतन अधिकार प्राप्त किये है तथा वादी द्वारा विवादित आराजी में निहित अपने विरासतन प्राप्त किये गए अधिकारों की घोषणा व मुताबिक हिस्सा बंटवारा कराने के लिए वाद प्रस्तुत किया है जिसे सुनने का व खातेदारी अधिकारों की घोषणा व कृषि भूमि का बंटवारा करने का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को नही होकर राजस्व न्यायालय को है। वादी अपनी मां के साथ उनके जीवनकाल में व उनके मरणोंपरांत विवादित आराजी में निहित अपने हिस्से पर काबिज होकर फसलों का लाभ लेते रहे है लेकिन वादी की मां को प्रतिवादीगण के द्वारा उनकी बैक पर करायी गई प्रविष्टियों व इन्द्राजों की जानकारी उसके जीवनकाल में नही हो सक। वादी को जानकारी होने पर जिसका विवरण दावें में स्पष्ट रूप से किया है और वादकरण प्राप्त होने पर वादी ने उक्त वाद प्रस्तुत किया है। वादकारण तथ्य एंव विधि का मिश्रित प्रश्न है जिसे उभयपक्ष की साक्ष्य लेखबऋद्ध किये बिना तय नही किया जा सकता है। वादी ने वाद उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए या उत्तराधिकारी घोषित कराने के लिए प्रस्तुत नही किया है बल्कि विवादित आराजी में विरासतन प्राप्त हुए खातेदारी अधिकारों की घोषणा कर बंटवारा कराने व स्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया है जो विधि द्वारा वर्जित नही है क्षेत्राधिकार का बिन्दु तथ्य एंव विधि का मिश्रित प्रश्न है जिसे उभयपक्ष की साक्ष्य से ही तय किया जा सकता है। अतः प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 10 का प्रार्थना पत्र सव्यय

उपखण्ड अधिकारी
बोलपुर (राज0)

खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र पर वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 10 ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वाद पत्र की मद नं. 06 में वादी हेतराम द्वारा निष्पादित पंजीबद्ध वसीयत तारीखी 08.05.2008 को स्वीकार करता है तथा उक्त वसीयत तारीखी 08.05.2008 को वाद पत्र की मद नं. 06 व 07 में फर्जी एंव अवैध अंकित कर अनुतोष चाहा है। वादी ने वाद पत्र की मद नं. 9 व 10 में प्रतिवादी संख्या 39 व प्रतिवादी संख्या 11 लगायत 17 व 21 लगा0 23 व 30 लगायत 33 के पक्ष में हुए विक्रय पत्रो को नल एण्ड वॉइड होने के संबध में अनुतोष मांगने के कथन अंकित किए है। जहां रजिस्टर्ड वसीयत का राजस्व रिकॉर्ड एंव मौके पर अमल (एक्ट अपोन) हो चुका हो, वहां हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधान लागू नही होते है। वसीयत एंव विक्रय पत्र के आधार पर खातेदारी अधिकार उदघोषित करने का तो राजस्व न्यायालय को क्षेत्राधिकार प्राप्त होता है लेकिन वसीयत, विक्रय पत्र या अन्य किसी दस्तावेज को फर्जी, कूटरचित एंव नल एण्ड वॉयड घोषित करने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को प्राप्त नही है। मात्र सक्षम सिविल न्यायालय को प्राप्त है। इस संबध में आरआरटी 2022(1)445 की प्रति बतौर नजीर पेश की। वसीयत जब तक प्रभावी है तब कि दावा इस न्यायालय में पोषणीय नही है। इस संबध में प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने आर.आर.टी. 2020(1)272, 2023(2)डी.एन.जे. राजस्व पेज 1351 की प्रति बतौर नजीर पेश की। वर्तमान वाद धारा 207 आरटी एक्ट की तृतीय अनुसूची के तहत वाद पत्र में अंकित कथनों के मुताबिक विधि द्वारा वर्जित है। वादी ने स्वंय को प्रेमवती का पुत्र अंकित करते हुए तथा प्रेमवती को हेतराम की पुत्री अंकित करते हुए तथा हेतराम को झिंगुरिया का पुत्र अंकित करते हुए वाद पत्र उत्तराधिकार के बिन्दू को तय कराने के लिए प्रस्तुत किया है। कानूनन उत्तराधिकार का बिन्दु मात्र सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा ही तय किया जा सकता है, राजस्व न्यायालय द्वारा नहीं तथा राजस्व न्यायालय को उत्तराधिकार का बिन्दु तय करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त नही है तथा क्षेत्राधिकार के बिन्दु पर वाद विधि द्वारा वर्जित है। वादी का वाद तुच्छ और प्रतिवादीगण को परेशान करने वाला है जिसे प्रारंभ में ही दवा देना चाहिए। जहां वाद तुच्छ परेशान करने वाला तथा मिथ्या कथनों पर आधारित है तथा आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के प्रावधान पूर्णतः लागू नही होते है तो वाद धारा 151 सीपीसी के तहत खारिज किया जा सकता है। इस संबध में उनके द्वारा

उपखण्ड अधिकारी
...पुर (राज0)

2017(1)डीएनजे राज. पेज 01 तथा आरआरटी 2021(1) पेज 536 की प्रति बतौर नजीर पेश की। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर वाद पत्र वादी इसी स्टेज पर खारिज किया जावे।

प्रतिवादी संख्या 31 व 33 के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान कथन किया कि प्रकरण में विवादित आराजी वादी की पैतृक संपत्ति न होकर हेतराम को आवटंन से प्राप्त आराजी है। वादी ने वादपत्र के साथ ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया है जिससे प्रकरण में विवादित आराजीयात झींगुरिया की से प्राप्त पैतृक संपत्ति होना स्पष्ट होता हो। विवादित आराजी हेतराम की स्वअर्जित संपत्ति है जिसकी वसीयत करने का हेतराम को पूर्ण अधिकार था। हेतराम द्वारा की गई रजिस्टर्ड वसीयत से खातेदारी अधिकार अन्तरित हो चुके है। वसीयत आज भी प्रभावी है। वसीयत के प्रभावी रहते हुऐ। वादी को इस न्यायालय में वाद लाने का कोई अधिकार प्राप्त नही है। आवटंन से प्राप्त आराजी वसीयत से हस्तान्तरित की जा सकती है। इस संबध में उनके द्वारा आरआरडी 14.08.15 पेज 458 की प्रति बतौर नजीर पेश की।

वादी के विद्वान अभिभाषक ने जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रतिवादी ने यह स्पष्ट नही किया है प्रकरण में विवादित आराजी आवटंन से कब और कैसे प्राप्त हुई नाही ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत किया है कि प्रकरण में विवादित आराजी हेतराम पर आवटंन से प्राप्त होना स्पष्ट होता हो। वादी ने तथाकथित वसीयत को फर्जी होना और उनका वादी व उसकी मां के मुकाबले प्रारंभतः अवैध और शून्य होना तथा उक्त अवैध और फर्जी वसीयत के आधार पर किये गए विक्रय पत्रों से वादी के मुकाबले प्रतिवादीगण को कोई अधिकार प्राप्त नही होना अंकित किया है। प्रतिवादीगण के पक्ष में हुए विक्रय पत्र प्रारंभतः नल एण्ड बॉयड है और ऐसे विक्रय पत्रा जो प्रारंभत नल एण्ड बॉयड है उनको नल एण्ड बॉयड घोषित कराने की आवश्यकता कानूनन नही है और नाही ऐसा कोई अनुतोष दावे की प्रार्थना पत्र में चाहा है। ना ही वादी ने उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए या उत्तराधिकारी घोषित कराने के लिए वाद प्रस्तुत किया है बल्कि विवादित आराजी में विरासतन प्राप्त हुए खातेदारी अधिकारों की घोषणा कर बंटवारा कराने व स्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया है जो विधि द्वारा वर्जित नही है। आदेश 07 नियम 11 सीपीसी का दायरा बहुत सीमित है, प्रतिवादी द्वारा उठाये गए प्रश्न आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के प्रावधानों के तहत पोषणीय नही है उन्हे साक्ष्य के आधार पर ही तय किया जा सकता है।

उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर (राज.)

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी सव्यय खारिज किया जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनने उपरान्त पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन कर गहन मनन किया। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी के तहत कथन किया है कि वादी ने वादपत्र की मद नं. 6 व 7 में वसीयत फर्जी एंव अवैध अंकित कर अनुतोष चाहा है। वसीयत एंव विक्रय पत्रों को नल एण्ड बॉयड घोषित करने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को प्राप्त नही है। इस संबध में वादपत्र के अवलोकन उपरान्त हम वकील वादी के इस कथन से सहमत है कि उनके द्वारा वसीयत एंव विक्रय पत्रों को नल एण्ड बॉयड घोषित कराने अथवा उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त करने अथवा उत्तराधिकारी घोषित कराने हेतु वाद प्रस्तुत नही किया है बल्कि विवादित आराजी में प्राप्त अधिकारों की घोषणा हेतु वाद प्रस्तुत किया है। परन्तु उनके द्वारा चाहा गया मूल अनुतोष तथाकथित वसीयत एंव विक्रय पत्रों पर आधारित है। वकील प्रार्थी द्वारा बहस के दौरान यह तथ्य प्रस्तुत किया है कि वसीयत जब तक प्रभावी है तब तक दावा इस न्यायालय में पोषणीय नही है। इस संबध में प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने आर.आर.टी. 2020(1)272, 2023(2)डी.एन.जे. राजस्व पेज 1351 की प्रति बतौर नजीर पेश की है। प्रस्तुत नजीरों का ससम्मान गहनता पूर्वक अवलोकन कर मनन किया। आर.आर.टी. 2020(1) पेज 275 में माननीय न्यायालय द्वारा व्यक्त मत के मुख्य अंश निम्न प्रकार है कि "कानूनी प्रावधानों के तहत जहां पंजीकृत वसीयत विद्यमान हो वहां विरासत का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है, जब तक कि सक्षम न्यायालय द्वारा वसीयत को निरस्त न कर दिया जावे।" "वसीयत को निरस्त कराये बिना वाद राजस्व न्यायालय में पोषणीय नही है।" "वसीयत को शून्य घोषित करने का अधिकार राजस्व न्यायालय को न होकर सिविल न्यायालय को है।" अतः प्रस्तुत नजीर में मा0 न्यायालय ने निगरानी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय निरस्त किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी स्वीकार कर वादी की ओर से प्रस्तुत वाद खारिज किया गया। 2023(2)डीएनजे पेज 1353 में मा. न्यायालय ने यह स्पष्ट मत व्यक्त किया है कि पंजीकृत विक्रय पत्र एंव पंजीकृत वसीयत को निरस्त करने का अधिकार सिविल न्यायालय को है ना कि राजस्व न्यायालय को ऐसी स्थिति में पंजीकृत विक्रय पत्र एंव पंजीकृत वसीयत को सिविल न्यायालय से निरस्त कराये बिना वादीगण का वाद राजस्व न्यायालय के समक्ष संधारण योग्य

उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर (राज0)

नही है। हस्तगत प्रकरण में वादी द्वारा वर्ष 2008 में प्रभावी हुई पंजीकृत वसीयत एंव उसके आधार पर हुए इन्द्राजों को लगभग 15 वर्ष वाद वर्ष 2023 में जरिये राजस्व वाद चुनौती दी गई है। अतः विद्वान अभिभाषक प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 10 की ओर से प्रस्तुत नजीरें इस प्रकरण पर पूर्णतः चस्पा होती है। विद्वान वकील प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत नजीर 2017(1) डीएनजे राज. पेज 01 तथा आरआरटी 2021(1) पेज 536 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वाद धारा 151 सीपीसी के तहत खारिज किया जा सकता है। प्रतिवादी संख्या 31 व 33 के विद्वान अभिभाषक का प्रश्न है कि विवादित आराजी पैतृक आराजी न होकर आवटंन से प्राप्त आराजी है। चूंकि विवादित आराजी पंजीकृत वसीयत एंव विक्रय पत्रों के जरिए हस्तान्तरित हो चुकी है तथा राजस्व रिकॉर्ड में अमल हो चुका है। उपरोक्त विवेचन अनुसार पंजीकृत वसीयत एंव विक्रय पत्रों को सिविल न्यायालय से निरस्त कराये बिना वाद राजस्व न्यायालय में संधारण योग्य नही है तो इस बिन्दु को इस स्तर पर देखे जाने का कोई औचित्य नही समझते है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद पंजीकृत वसीयत एंव विक्रय पत्रों को सक्षम न्यायालय से निरस्त कराये बिना राजस्व न्यायालय में पोषणीय नही होने से खारिज योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी प्रार्थी/ प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 10 स्वीकार किया जाकर दावा वादी खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। हस्व जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्डाधिकारी
धौलपुर (राज0)